तथा केन्द्रीय श्रम विभाग की अपेक्षा के कारण मजदूरों को मजूरी नहीं दी गई है और वे बेरोजगार हो गए हैं ;

(घ) क्या कम्पनी की 80 वर्ग मील के क्षेत्र में फैली सैकड़ों खानें क्षतिग्रस्त हो रही हैं और मजदूरों की संख्या कम हो रही है ; और

(ङ) क्या सरकार कम्पनी के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेगी और यदि नहीं, तो हजारों मजदूरों के रोजगार की रक्षा करने तथा राष्ट्रीय सम्पत्ति को बचाने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) यह सूचित किया गया है कि मैसर्स क्रिसचियन माइका इण्डस्ट्रीज लिमिटेड और ईस्टर्न मैंगनीज एण्ड मिनरल्स लिमिटेड (सहायक प्रतिष्ठान) की अभ्रक खानों और अभ्रक कारखानों के लगभग 3,000 श्रमिकों को 6 मास से 1½ वर्ष की अवधि की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है।

(ख) यह सूचित किया गया है कि क्रिसचियन माइका इंडस्ट्रीज लिमिटेड के छः सहायक प्रतिष्ठानों से 18.76 लाख रुपये की राशि भविष्य निधि अंशदान की ओर देय है।

(ग) से (ङ). यह सूचित किया गया है कि अभ्रक-खानों और कारखानों का उत्पादन और आय कम्पनी के सभी दायित्वों और कर्मचारियों की मजूरी की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। नई दिल्ली में 30 जुलाई, 1977 को होने वाली सभी संबंधित पक्षों की बैठक में सभी सम्बद्ध समस्याओं पर विचार-विमर्श किए जाने का विचार है।

Issue of Drug Licences to Doctors

5288. SHRI GOVINDA MUNDA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether prior to 1970, drug licences used to be issued to qualified private doctors for commercial purposes under the Drugs Act; and

(b) if so, whether the some practice is still being followed ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN):

(a) Yes.

(b) Yes.

नियोक्ताओं की ओर भविष्य निधि की बकाया राशि

5289. **श्री वीरेन्द्र प्रसाद** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नियोक्ताओं की ओर भविष्य निधि की कितनी राशि बकाया है और उसका वर्ष 1974, 1975 और 1976 का ब्योरा क्या है ;

(ख) इस बारे में किन नियोक्ताओं तथा फर्मों की ओर दस लाख रुपए से अधिक की धनराशि बकाया है ; और

(ग) इस बकाया राशि की वसूल करने हेतु क्या कार्यवाही की गई हैं ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख). दो विवरण 'क' और 'ख' सभा की मेज पर रख दिए गए हैं ;

(ग) (i) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 8 (भूमि राजस्व की बकाया राशि के रूप में देय राशि की वसूली),

और धारा 14, 14क, 14कक (अभियोजन) के अधीन दोषी नियोक्ताओं के विरुद्ध भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा कार्यवाही की गई है। इसके अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता (विश्वासघात और आपराधिक दुर्विनियोग) की धारा 406/409 के अधीन उनके द्वारा अभियोजन चलाये जाते हैं, जहां नियोजक कर्मचारियों की मजदूरी से भविष्य निधि का कर्मचारियों के भाग काट लेते हैं किन्तु भविष्य निधि में उसे जमा नहीं करते हैं। दोषी नियोजक अनिवार्य रूप से अच्छा वर्ताव करें, इसके लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 110 के अधीन न्यायालयों की शरण ली जाती है।

(ii) उस तारीख से, जब से अधिनियम लागू हुआ, 31 मार्च, 1977 तक, अधिनियम के अन्तर्गत आये प्रतिष्ठानों के नियोजकों के विरूद्ध 77,412 अभियोजन मामले दायर किए गए। इसी अवधि के दौरान दोषी नियोजकों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अधीन 846 शिकायतें दायर की गई।

विवरण 'क'

छूट न प्राप्त कारखानों/प्रतिष्ठानों के नियोजकों की ओर भविष्य निधि की बकाया राशि
(लाख रुपयों में)

	नियोजक का हिस्सा	कर्मचारियों का हिस्सा	योग (2+3)
1	2	3	4
31-3-1974 को	1155.53	750.43	1905.96
31-3-1975 को	1143.95	789.95	1933.90
31-3-1976	1210.18	853.36	2063.54

विवरण 'ख'

ऐसे दोषी छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों के नाम जिनकी ओर 31-3-77 को दस लाख या उससे अधिक रुपये बकाया थे।

(रुपये लाखों में)

क्रमांक	प्रतिष्ठानों का नाम	बकाया राशि
1	2	3
	आन्ध्र प्रदेश	
1	दि अजाम जाही मिल्स लि०, वारंगल . . .	17.88
	बिहार	
2	मैसर्स रेलायस फायर ब्रिक्स एण्ड फैक्टरी कं० . .	13.22

1	2	3
3	मैसर्स आर० बी० हरकुट्रोय मोतीलाल जूट मिल्स .	32.98
	मध्य प्रदेश	
4	हिरा मिल्स, उज्जैन	21.89
5	इन्दौर मालवा यूनाइटेड मिल्स . . .	73.25
6	कल्याणमल मिल्स, इन्दौर . . .	17.51
7	न्यू भोपाल टैक्सटाईल मिल्स, भोपाल .	14.23
8	स्वदेशी काटन एण्ड फ्लोर मिल्स, इन्दौर .	12.10
	महाराष्ट्र	
9	दि अप्पोलो मिल्स	32.24
10	मैसर्स ब्रांडबुरी मिल्स लि० . . .	39.62
11	मैसर्स दिगविजय स्पिनिंग एण्ड वीविंग कं० लि०, बम्बई	11.70
12	मैसर्स भारत टेक्सटाईल बम्बई . .	14.94
13	मैसर्स इंडिया यूनाइउटेड ग्रूप्स आफ मिल्स, बम्बई	177.20
14	मैसर्स जय शंकर मिल्स वरसी लि०, शोलापुर .	10.09
15	मैसर्स न्यु प्रताप स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स कं०, भुनिया	10.46
16	मैसर्स केसर-ए-हिन्द स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, बम्बई	16.15
17	मैसर्स ओस्मानशाही मिल्स लि०, नानडेड .	20.87
18	मैसर्स शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, शोलापुर	30.84
19	मैसर्स सक्सरिया कौटन मिल्स लि०, बम्बई	12.29
	तमिल नाडु	
20	केलीस्वरार मिल्स लि० . .	10.39
21	दि सोमासुन्दरम मिल्स लि० .	19.11
22	श्री भारथी मिल्स लि० . . .	13.87
	उत्तर प्रदेश	
23	मैसर्स ग्रर्यटन वेस्ट कं० लि०, कानपुर .	33.50
24	मैसर्स बिजली कौटन मिल्स लि० .	11.15
25	मैसर्स जसवंत शूगर मिल्स, मेरठ . . .	11.68
26	मैसर्स लक्ष्मी रतन कौटन मिल्स लि०, कानपुर . .	22.98
27	मैसर्स न्यू विक्टोरिया मिल्स लि०, कानपुर . .	35.96
	पश्चिम बंगाल	
28	मैसर्स बंगाल फाईन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि० (फैक्टरी नं० 1)	10.42

1	2	3
29	मैसर्स बंगाल लक्ष्मी कौटन मिल्स . . .	20.89
30	मैसर्स बर्ड एण्ड कं०	14.31
31	मैसर्स कंटून कारपेंट्री वर्क्स	11.06
32	मैसर्स लक्ष्मी नारायन कौटन मिल्स एण्ड एच० ग्रोफिस .	10.77
33	मैसर्स नेशनल ग्रायरन एण्ड स्टील कं० . .	29.02
34	मैसर्स रामपूरिया कौटन मिल्स . . .	19.60
35	मैसर्स श्री महालक्ष्मी कौटन मिल्स . .	11.12
36	मैसर्स शालिमार वर्क्स लि० . . .	22.97
	योग	188.26

बिहार के नालन्दा जिले में बीड़ी मजदूरों की मजूरी का न दिया जाना

5290. **श्री वीरेंद्र प्रसाद** : क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समूचे देश में तथा बिहार में और नालन्दा जिले में अलग अलग कितने मजदूर बीड़ी बनाने का कार्य करते हैं ;

(ख) क्या नालन्दा जिले में फैक्टरियों के मालिक बीड़ी मजदूरों को बहुत कम घण्टों का काम ही देते हैं और उनकी मजदूरी का भुगतान भी समय पर नहीं करते जिससे मजदूरों की भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ग) इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा): (क) से (ग). देश में बीड़ी उद्योग में नियोजित या काम कर रहे व्यक्तियों की कुल संख्या के सम्बन्ध में कोई विश्वस्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि यह अनुमान है कि समूचे देश में ऐसे व्यक्तियों की संख्या लगभग 30 लाख है। प्रश्न के अन्य भागों के बारे में सूचना बिहार सरकार से प्राप्त की जा रही हैं और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

भिलाई इस्पात संयंत्र का विस्तार

5291. **श्री भागीरथ भंवर :**
श्री राघव जी :

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई इस्पात संयंत्र के विस्तार को पूरा करने के लिए क्या अवधि प्रारंभ में नियत की गई थी और उसकी पुनरीक्षित समयावली क्या है, और

(ख) क्या परियोजना के पूर्ण होने में विलम्ब हो रहा है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख). आरम्भिक कार्यक्रम के अनुसार भिलाई के 40 लाख टन चरण का विस्तार कार्य दिसम्बर, 1976 में पूर्ण होना था। मई, 1974 में